




Chaudhary Charan Singh University, Meerut

PROVISIONAL ADMIT CARD (SESSION 2015-16)

Name of the Candidate : **ABHISHEK WORAH**Father's Name : **DHIRENDRA WORAH**Roll No. : **1560710003**
Class : **LL.B 3 Year-YEAR-1-SEM-2**Enroll. No. : **M15615926**
Type : **Under Graduate (UG) Regular**Category : **General (Unreserved)**
Gender : **MALE**College Studying : **[607] RELIABLE INSTITUTE OF LAW MORTA, DELHI-MEERUT ROAD, GHAZIABAD**Examination Centre : **[024] S.D. COLLEGE, GHAZIABAD**Subjects : **Law**

(Controller of Examinations)



Form # 264197

Subject	Paper
Law	PAPER-1 : K-2001 Jurisprudence - II (Legal Concepts)
Law	PAPER-2 : K-2002 Constitutional Law of India - II (Structure And Working of the Indian Constitution)
Law	PAPER-3 : K-2003 Family Law - I (Hindu Law)
Law	PAPER-4 : K-2004 Contract - II (Specific Contract And Law-of Partnership)
Law	PAPER-5 : K-2006 (ii) Law of Taxation

Note: Students should bring this Admit Card for appearing in examination. Students failing to bring this Admit Card shall not be allowed to appear in the examination. **This Admit Card is provisional.** If 'Type' has status of 'FEE IS DUE', the candidate must pay the due fee to be eligible for appearing in examination. The result shall be declared subject to eligibility of the candidate.

अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक निर्देश

- उत्तर पुस्तिका पर अपने अनुक्रमांक निम्नवत् लिखें -
अनुक्रमांक (अंकों में) - 156 0710003
- यदि अभ्यर्थी की फोटो अस्पष्ट / बूटियुक्त है, तो यह Admit Card किसी भी अवस्था में मान्य नहीं होगा।
- अभ्यर्थी को केंद्र के केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों के निर्देशों का सवेथा अनुपालन करना होगा।
- उत्तर पुस्तिका पर आवरण पृष्ठ पर अंकित सूचनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी पृष्ठ पर नाम, अनुक्रमांक या अन्य चिन्ह अंकित करना अनुचित साधन की श्रेणी में माना जायेगा।
- अभ्यर्थी अपनी उत्तर पुस्तिका कक्ष निरीक्षक के हाथ में सौंपे बिना परीक्षा कक्ष के बाहर नहीं जा सकेगा।
- परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार की पाठ्य पुस्तक / सहायक पुस्तक / मोबाइल / कैलकुलेटर इत्यादि नहीं लायी जा सकती है। ऐसा पाए जाने पर केन्द्राध्यक्ष को छात्र के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का अधिकार होगा।
- परीक्षा कक्ष में अशांति उत्पन्न करने वाले अभ्यर्थी नियमानुसार दंड के भागी होंगे परीक्षा बहिष्कार करने / हट जाने पर उस परीक्षा को पुनः संपन्न कराने का विश्वविद्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।